



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062020-219832
CG-DL-E-09062020-219832

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2020/ज्येष्ठ 19, 1942

No. 279]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2020/JYAISHTHA 19, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2020

सं. 27/2020-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 358(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद् द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 55 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"55	1401 10 00	बांस	25%	-	-".

[फा. सं. 354/360/2017-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 2 जून, 2020, जिसे सा.का.नि. 341(अ), दिनांक 2 जून, 2020 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2020

No. 27/2020-Customs

G.S.R. 358(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, for serial number 55 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“55	1401 10 00	Bamboos	25%	-	-”.

[F. No. 354/360/2017-TRU]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended by notification No. 26/2020-Customs, dated the 2nd June, 2020, published *vide* number G.S.R.341(E), dated the 2nd June, 2020.